तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/4343/2004/टोंक सत्यनारायण बनाम हनुमान(मृतक) जरिए वारिसान महेश व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

श्री राजेश सिंह ,सदस्य

उपस्थितः–

श्री जे.के.पारीक, अधिवक्ता प्रार्थी

सुश्री पूजा शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक

1– यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के तहत उपखण्ड अधिकारी, निवाई जिला टोंक के निर्णय दिनांक 3–9–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निवाई के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 के तहत् एक वाद ग्राम झिलाय तहसील निवाई स्थित विवादित आराजीयात बाबत् प्रस्तुत किया गया। वाद के विचाराधीन रहते अप्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा दिनांक 6–11–2001 को एक प्रार्थना–पत्र बतौर प्रारम्भिक आपत्ति पेश कर ग्राम पंचायत की पत्रावली में शामिल दस्तावेजों या उनकी प्रमाणित प्रतियों पर प्रदर्श नहीं डाले जाने का निवेदन किया गया। प्रार्थी/वादी द्वारा दिनांक 30–8–2002 को एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत के रिकार्ड में संलग्न प्रतियों के बारे में सेकेण्डरी ऐवीडेन्स पेश करने का अवसर दिये जाने का निवेदन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निवाई द्वारा अपने आदेश दिनांक 3–9–2004 द्वारा अप्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दिनांक 6–11–2001 स्वीकार किया जाकर प्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दिनांक 30–8–2002 निरस्त करते हुए नकल से नकल की सेकेण्डरी साक्ष्य के रूप में इजाजत नहीं दिये जाने एवं इन पर प्रदर्श नहीं डाले जाने का आदेश प्रदान किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 3–9–2004 से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3– प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/4343/2004/टोंक सत्यनारायण बनाम हनुमान(मृतक) जरिए वारिसान महेश व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विपरीत है। उनका कथन है कि न्यायहित में ग्राम पंचायत, झिलाय से प्राप्त दस्तावेज की छाया प्रतियों को रिकार्ड पर लिया जाना अत्यधिक आवश्यक है तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज को बतौर सैकेण्डरी ऐवीडेन्स के रूप में पेश करने एवं प्रदर्श मार्क दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया जाना अत्यधिक आवश्यक है। जब ग्राम पंचायत के यहां पर पूर्व में जो असल पट्टा तथा दस्तावेज प्रस्तुत किये गये थे, उसके पश्चात् फोटो प्रति प्रस्तुत की गई थी। असल दस्तावेज गुम हो जाने के कारण प्रार्थीगण द्वारा ग्राम पंचायत से छाया प्रति की प्रतिलिपि प्राप्त कर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी, इसलिए यह दस्तावेज रिकार्ड पर लिये जाकर इन पर प्रदर्श मार्क किया जाना आवश्यक था। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आदेश पारित कर त्रुटि कारित की है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, निवाई द्वारा पारित आदेश दिनांक 3–9–2004 निरस्त किया जाकर प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दिनांक 30–8–2002 को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत–पत्र को निरस्त किया जावे। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में जनरल सिविल रूल्स 1986 के नियम 242, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 58, 60, आर.बी.जे. 2019 पृष्ठ 336, डी.एन.जे. 2009(3) राज0 पृष्ठ 1536, आर.आर.डी. 2012 पृष्ठ 597, न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए । **4–** अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के अनुरूप है। उनका कथन है कि प्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज पट्टा व अन्य दस्तावेज नकल की नकल है, जो साक्ष्य में ग्रहण योग्य न होने के कारण उस पर प्रदर्श नहीं डाला जा सकता है। ग्राम पंचायत की मूल पत्रावली में भी असल दस्तावेज नहीं है तथा प्रमाणित प्रतिलिपि शामिल है। विधि के अनुसार ग्राम पंचायत को नकल की नकल देने का कोई अधिकार नहीं है। नकल की नकल पर विधि अनुसार प्रदर्श नहीं डाला जा सकता है। उनका यह कथन है कि दस्तावेज गुम होने की तारीख में सन् 1959 अंकित की है। जबकि दस्तावेज फर्जी होने कारण प्रार्थी/वादी ने पेश नहीं किया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत है। अतः प्रस्तुत निगरानी खारिज की जावे।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/4343/2004/टोंक सत्यनारायण बनाम हनुमान(मृतक) जरिए वारिसान महेश व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	5– हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। **6–** हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी/वादी द्वारा सहायक कलेक्टर टोंक के समक्ष एक दावा घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती का गुमशुदा पट्टे के आधार पर दिनांक 10–6–96 को प्रस्तुत किया । उक्त दावे का जबावदावा अप्रार्थी द्वारा दिनांक 3–12–96 को दिया गया । दिनांक 6–11–2001 को अप्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा दस्तावेज की नकल को नकल को प्रदर्श नहीं डाले जाने बाबत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया । हस्तगत प्रकरण में मुख्य विवाद का बिन्दु ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे की नकल की नकल को सैकण्डरी एवीडेन्स में लिए जाने का प्रश्न है ।इस संबंध में हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 61 ,62, 63, 64 एवं 65 का अवलोकन करना समीचीन समझते है– **61. Proof of contents of documents** The contents of documents may be proved either by primary or by secondary evidence. **62. Primary evidence** Primary evidence means the documents itself produced for the inspection of the Court. **Explanation 1**—Where a document is executed in several parts, each part is primary evidence of the document : Where a document is executed in counterpart, each counterpart being executed by one or some of the parties only, each counterpart is primary evidence as against the parties executing it. **Explanation 2**- Where a number of documents are all made by one uniform process, as in the case of printing, lithography, or photography, each is primary evidence of the contents of the rest ; but, where they are all copies of a common original, they are not primary evidence of the contents of the original. **Illustrations** A person is shown to have been in possession of a number of placards, all printed at one time from one original. Any one of the placards is primary evidence of the contents of any other, but no one of them is primary evidence of the contents of the original. **63. Secondary evidence** Secondary evidence means and includes—	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/4343/2004/टोंक सत्यनारायण बनाम हनुमान(मृतक) जरिए वारिसान महेश व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	(1) certified copies given under the provisions hereinafter contained; (2) Copies made from the original by mechanical processes which in themselves ensure the accuracy of the copy, and copies compared with such copies. (3) copies made from or compared with the original ; (4) counterparts of documents as against the parties who did not execute them; (5) oral accounts of the contents of a documents given by some person who has himself seen it. Illustration (a) A photograph of an original is secondary evidence of its contents, though the two have not been compared, if it is proved that the thing photographed was the original. (b) A copy compared with a copy of a letter made by a copying machine is secondary evidence of the contents of the letter, if it is shown that the copy made by the copying machine was made from the original. (c) A copy transcribed from a copy, but afterwards compared with the original, is secondary evidence; but he copy not so compared is not secondary evidence of the original, although the copy from which it was transcribed was compared with the original. (d) Neither an oral account of a copy compared with the original, nor an oral account of a photograph or machine copy of the original, is secondary evidence of the origin **64. Proof of documents by primary evidence** -- Documents must be proved by primary evidence except in the cases hereinafter mentioned. **65. Cases in which secondary evidence relating to documents may be given** -- Secondary evidence may be given of the existence, condition, or contents of a document in the following cases : - (a) When the original is shown or appears to be in the possession or power - of the person against whom the document is sought to be proved, or of any person out of reach of, or not subject to, the process of the Court, or of any person legally bound to produce it, and when, after the notice mentioned in section 66, such person does not produce it, (b) When the existence, condition or contents of the original have been proved to be admitted in writing by the person against whom it is proved or by his representative in interest; (c) When the original has been destroyed or lost, or when	

the party offering evidence of its contents cannot, for any other reason not arising from his own default or neglect, produce it in reasonable time;
(d) When the original is of such a nature as not to be easily movable;
(e) When the original is a public document within the meaning of section 74;
(f) When the original is a document of which a certified copy is permitted by this Act, or by any other law in force in India to be given in evidence.
(g) When the originals consist of numberous accounts or other documents which cannot conveniently be examined in Court and the fact to be proved is the general result of the whole collection.
In cases (a), (c) and (d), any secondary evidence of the contents of the document is admissible.
In cases (b), the written admission is admissible.
In case (e) or (f), a certified copy of the document, but no other kind of secondary evidence, is admissible.
In case (g), evidence may be given as to the general result of the documents by any person who has examined them, and who is skilled in the examination of such documents.

साक्ष्य अधिनियम के अनुसार दस्तावेज पर लिखित को Primary या Secondary Evidence से सिद्ध किया जा सकता है। फोटो प्रति Secondary evidence की श्रेणी में आती है। इस संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टे की नकल जारी की है एवं हस्ताक्षरित है जिस पर अंकित है कि प्रतिलिपी सही है । उक्त पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी होने से यह फोटो प्रति Secondary evidence की श्रेणी में आती है। इस संबंध में जनरल नियम (सिविल) 1986 पृष्ठ 56 नियम 242 इस प्रकार है–

242– "A copy of copy may only be granted if the original document is not traceble-A Copy of may only be granted if the original document is not traceable or is not accessible to the applicant for the purpose of obtaining a copy each page of such copy shall bear in red ink, the remarks that it is a copy of a copy . "

इस संबंध में आर.आर.डी. 2012 पृष्ठ 597 पर यह अभिमत निर्धारित किया है कि–

"Rajasthan Tenancy Act, Section 230- Revision against order of Astt,Collector -Held, learned trail court refused to mark exhibit on photo copy of the document produced by the

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/4343/2004/टोंक सत्यनारायण बनाम हनुमान(मृतक) जरिए वारिसान महेश व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	petitioners-When the origibal has been destroyed or lost the fact can be considered for allowing secondry evidence -As per Section 65 of the Indian Evidence Act, concession can be availed when application for secondary evidence is allowed - Order of Astt.Collector, modified-Petitioners allowed to prove the instrument and the trial court directed to mark an exhibit on the document -Directions issued," उक्त विधिक प्रावधानों के सन्दर्भ में ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे की नकल जारी की गई है जो Secondary evidence की श्रेणी में आती है । यहॉ यह उल्लेखनीय है कि जहॉ से पट्टे की सत्यापित प्रति से प्रति प्राप्त की गई है वही संस्था पट्टा जारी करती है । इसलिए पट्टे की सत्यापित प्रति की प्रति को non traceble की स्थिति में secondary evidence के रूप में लिया जा सकता है । किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने नकल से नकल को Secondary evidence नहीं लेकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र खारिज किया है जो विधिसम्मत नहीं होने से निरस्तनीय है । **7–** उक्त विवेचन एवं विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी स्वीकार की जाती है । उपखण्ड अधिकारी, निवाई का निर्णय दिनांक 3–9–2004 निरस्त किया जाकर प्रार्थी द्वारा दिनांक 30–9–2002 को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र बाबत ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे की नकल को Secondary evidence में लिये जाने का स्वीकार किया जाकर प्रकरण में आगामी कार्यवाही हेतु अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है । उभय पक्षकारान उपखण्ड अधिकारी, निवाई के न्यायालय में दिनांक 1–6–2026 को उपस्थित होंवे । निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । **(राजेश सिंह)** **सदस्य**	